न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 19/2017
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

अमरीकसिंह आयु 34 वर्ष आत्मज श्री कुलवन्तसिंह, जटसिख, चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती सुखविन्द्रकौर आयु 90 वर्ष धर्मपत्नी श्री कुलवन्तसिंह, जटसिख, चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर.

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित – श्री जीतपालसिंह सैनी (वादी)
श्री सुभाष मिढ़ा (प्रतिवादी–1)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–2)

दिनांक 26 मार्च, 2018

।। निर्णय ।।

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्य 2/46 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.200 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 14/2(0.215), किला नम्बर 15 से 19 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 20/1(0.045) हैक्टर कुल 1.525 हैक्टर कुल 7.85 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. जिसमें से वादी के नाम पर 2.672 हैक्टर, वादी के भाई श्री गुरप्रीतसिंह के नाम पर 2.554 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1.762 हैक्टर एवं श्री बलकरणसिंह के नाम पर 0.570 हैक्टर एवं श्री राजकिरण के नाम से 0.292 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी में दर्ज है. उक्तांकित कृषि भूमि की बाबत वादी, वादी के भाई, माता श्रीमती सुखविन्द्रकौर के मध्य दिनांक 5 अक्तूबर, 2004 को गवाहान के समक्ष लिखित बंटवारानामा निष्पादित किया गया जिस पर श्री गुरप्रीतसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वेच्छा से हस्ताक्षर किये गये थे तथा बंटवारानामा के अनुसार वादी को मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1 से 13 कुल 13.00 बीघा एवं अवासीय भूखण्ड पैमायशी 50 40 फुट, श्री गुरप्रीतसिंह को, मुरब्बा नम्बर 9 के किला नम्बर 14 से 25 कुल 12.00 बीघा एवं पक्का आवासीय मकान पैमायशी 80 x 100 फुट एवं श्रीमती सुखविन्द्रकौर को जीवन पर्यन्त मुरब्बा नम्बर 10 में 6.00 बीघा पर उपभोगिता अधिकार तथा उनकी मृत्योपरान्त दोनों भाईयों का बहिस्सा बराबर बराबर दिया गया जिसकी पालना में वादी एवं उसका भाई बंटवानामा की तिथि से ही काबिज हो गये हैं तथा वादी द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर सुधार किये जाकर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक

मेहनत कर उपजाउ बनाया गया है. वादी का भाई श्री गुरप्रीतसिंह काफी तेज तर्रार व्यक्ति है जो प्रतिवादी संख्या 1 की वृद्धावस्था का लाभ उठाते हुऐ अपने अनुचित प्रभाव से उसके नाम की 0.570 हैक्टर कृषि भूमि का विक्रय बलकरणसिंह आत्मज श्री शेरसिंह को विक्रय कर प्रतिफल राशि प्रतिवादी संख्या 1 को न देकर स्वयं हड़प गया है. प्रतिवादी संख्या 1 की आयु काफी ज्यादा हो चुकी है तथा वह अनपढ एवं देहाती महिला है तथा प्रतिवादी संख्या 1 इस अवस्था में बिस्तर पर ही लेटी रहती है. जिसकी सुनने समझने की क्षमता समाप्त हो चुकी है जिसके स्वास्थ्य के लिये निरन्तर औषधियां चल रही है. वादी के भाई श्री गुरप्रीतसिंह द्वारा पूर्व में भी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वक्रय किया गया था अब पुनः प्रतिवादी संख्या 1 की कमजोर मानसिक अवस्था का लाभ उठाते हुऐ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम की कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त करने के प्रयास में है जिसके लिये पटवारी से सम्पर्क भी कर रहा है. श्री गुरप्रीतसिंह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम काफी बड़ी राशि का ऋण प्राप्त कर स्वयं उपयोग करने में प्रयासरत है जिसे ऋण राशि चुकाने की कोई इच्छा नही है चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 को इस अवस्था में ऋण की आवश्यकता नहीं है किन्तु श्री गुरप्रीतसिंह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ऋण लेने में प्रयासरत है. प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि के बंटवारा में वादी एवं श्री गुरप्रीतसिंह को दे दी है जिस पर वादी काबिज है अब प्रतिवादी संख्या 1 इस भूमि पर ऋण नहीं ले सकती. वादी दिनांक 10 मार्च, 2017 को प्रतिवादी संख्या 1 से मिल कर उक्त भूमि पर ऋण नहीं लेने का कहा गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 की मानसिक अवस्था ठीक नहीं है तथा सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो चुकी है जिसका लाभ श्री गुरप्रीतसिंह उठा रहा है. जिसके द्वारा कथन किया गया कि वह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज कृषि भूमि पर ऋण लेकर रहेगा ताकि वादी की भूमि बैंक द्वारा कुर्क कर ली जाये और वादी को बेदखल किया जा सके. यही वादहेतुक वादी को उपलब्ध है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व उसके नाम पर दर्ज चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 2/46 मुरब्बा नम्बर 9 व 10 की 1.762 हैक्टर कृषि भूमि पर ऋण लेने से निषिद्व रहे. इस प्रकार वादी द्वारा चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 2/46 मुरब्बा नम्बर 9 व 10 की 1.762 हैक्टर कृषि भूमि पर ऋण लेने से निषिद्व किये जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 एवं इकरारनामा बाबत बंटवारानामा दिनांक 5 अक्तूबर, 2004 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आकर जवाब आवेदनपत्र दिनांक 17 अप्रेल, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रश्नगत भूमि का आपसी बंटवारा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 केवल मात्र आपसी बंटवारा में आई मुरब्बा म्बर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

10 के 6.00 बीघा पर केवल आमदनी खायेगी तथा उसकी मृत्योपरान्त दोनों भाईयों की होगी कथन असत्य एवं मनघढंत अंकित किये गये हैं. प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्सा की भूमि की स्वतन्त्र रूप से मालिक काबिज है जिससे वादी का किसी प्रकार से कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है. श्री बलकरणसिंह को विक्रय श्री गुरप्रीतसिंह द्वारा नहीं बल्कि फर्म बाबूसिंह भगवंतसिंह, श्रीगंगानगर आढतिया से समय समय पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राशि 5.65 लाख उधार ली गयी थी जिसे वादी द्वारा भुगतान किया जाना था चूंकि वादी नशे का आदी है तथा उक्त राशि का भुगतान नहीं किये जाने, तत्समय प्रश्नगत कृषि भूमि संयुक्त खाता की होने के कारण भुगतान की जिम्मेवारी श्री गुरप्रीतसिंह द्वारा ली गयी थी, फर्म द्वारा श्री गुरप्रीतसिंह की जिम्मेवारी स्वरूप दिये गये चैक का भुगतान नहीं होने के कारण प्रकरण दर्ज करवाया गया जिसके परिणामतः भूमि का विक्रय का ऋण राशि का भुगतान किया गया है. श्री गुरप्रीतसिंह द्वारा किसी भी प्रकार की राशि हड़प नहीं की गयी. इस प्रकार के समस्त तथ्य असत्य अंकित किये गये हैं. प्रतिवादी संख्या 1 अपना भला बुरा समझती है तथा पूर्ण रूप से स्वस्थचित है, किसी भी प्रकार से श्री गुरप्रीतसिंह के दबाव एवं प्रभाव में नहीं है बल्कि स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 अपनी भूमि के सुधार हेतु फसली ऋण लेना चाहती है जिस पर वादी द्वारा रोक नहीं लगायी जा सकती. प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम पर दर्ज कृषि भूमि पर स्वयं काश्त करवा रही है जिस पर वादी का कब्जा नहीं है. अतिरिक्त कथनों में अंकित किया गया कि वादी माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुआ बल्कि केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 1 को परेशान करने की नीयत से असत्य कथनों के आधार पर आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है. वादी नशा करने का अभ्यस्त है तथा आये दिन नशा कर प्रतिवादी संख्या 1 एवं अपने भाई श्री गुरप्रीतसिंह से झगड़ा करता है और जबरदस्ती प्रतिवादी संख्या 1 से कृषि भूमि लेना चाहता है जबकि किसी भी प्रकार से न तो प्रतिवादी संख्या 1 की देखभाल व सेवा करता है बल्कि अपनी पत्नी एवं श्वसुर के दबाव में प्रतिवादी संख्या 1 की कृषि भूमि हड़प करना चाहता है. बंटवारानामा न तो पंजीबद्व है न ही नियमानुसार मुद्रित है जिसे साक्ष्य में स्वीकार नही किया जा सकता. वादी द्वारा पूर्व में श्री गुरप्रीतसिंह की भूमि जो श्री अमरजीतसिंह से 0.854 हैक्टर दोनों भाईयों ने क्रय की गयी थी में से धोखा से 0.632 हैक्टर वादी ने अपने नाम पर करवा ली तथा 0.222 हैक्टर अपने भाई के नाम पर करवायी गयी है. वादी नेकनीयत नहीं है जो प्रतिवादी संख्या 1 वृद्व महिला को तंग व परेशान कर भूमि हड़प करना चाहता है. इस प्रकार विशेष हर्जाना राशि के साथ वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया. जवाब आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में फर्म बाबूसिंह धींगड़ा एण्ड कम्पन्नी द्वारा लिखित तहरीर दिनांक 14 नवम्बर, 2008, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 23 मई, 2011 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 9 मई, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार श्रीमती सुखविन्द्रकौर की भूमि एस.बी.बी.जे., श्रीगंगानगर के ऋणाधीन है. बैंक को पक्षकार बनाया जाना उचित है.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –?

1. क्या चक 9 एल.एल. के खाता संख्या 2/46 में वादी के नाम पर 2.672 हैक्टर, वादी के भाई श्री गुरप्रीतसिंह के नाम पर 2.554 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती सुखविन्द्रकौर के नाम पर 1.762 हैक्टर एवं बलकरणसिंह के नाम पर 0.570 हैक्टर एवं श्री राजकिरण के नाम पर 0.292 हैक्टर कृषि भूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य पारिवारिक स्तर पर दिनांक 5 अक्तूबर, 2004 को बंटवारानामा हुआ एवं बंटवारानामा की क्रियान्विती हुई?
...वादी
2. क्या वादी श्रीमती सुखविन्द्रकौर के नाम पर 1.762 हैक्टर कृषि भूमि के लिये प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व उसके ऋण लेने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?
...वादी
3. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य पारिवारिक स्तर पर दिनांक 5 अक्तूबर, 2004 को निष्पादित बंटवारानामा विधिक स्तर पर पक्षकारान पर बाध्य है?
...प्रतिवादी–1
4. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्षी वादी श्री अमरीकसिंह एवं साक्षी प्रतिवादी श्रीमती सुखविन्द्रकौर द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये जिनसे जिरह की गयी. अभिलेख चक 9 एल.एल. की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069(प्रदर्श–1) एवं दस्तावेज इकरारनामा बाबत बंटवारानामा दिनांक 5 अक्तूबर, 2004(प्रदर्श–2) प्रदर्श किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 9 एल.एल. के खाता संख्या 2/46 में वादी के नाम पर 2.672 हैक्टर, वादी के भाई श्री गुरप्रीतसिंह के नाम पर 2.554 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती सुखविन्द्रकौर के नाम पर 1.762 हैक्टर एवं बलकरणसिंह के नाम पर

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

0.570 हैक्टर एवं श्री राजकिरण के नाम पर 0.292 हैक्टर कृषि भूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य पारिवारिक स्तर पर दिनांक 5 अक्तूबर, 2004 को बंटवारानामा हुआ एवं बंटवारानामा की कियान्विती हुई? ...**वादी**

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069(प्रदर्श–1) के अनुसार चक 9 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्य 2/46 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.200 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 14/2(0.215), किला नम्बर 15 से 19 प्रत्येक सालम, किला नम्बर 20/1(0.045) हैक्टर कुल 1.525 हैक्टर कुल 7.85 हैक्टर कृषि भूमि में से वादी के नाम पर 2.672 हैक्टर, वादी के भाई श्री गुरप्रीतसिंह के नाम पर 2.554 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1.762 हैक्टर एवं श्री बलकरणसिंह के नाम पर 0.570 हैक्टर एवं श्री राजकिरण के नाम से 0.292 हैक्टर कृषि भूमि जमाबन्दी में दर्ज है. दस्तावेज इकरारनामा बाबत बंटवारानामा दिनांक 5 अक्तूबर, 2004(प्रदर्श–2) श्री गुरप्रीतसिंह द्वारा निष्पादित किया गया है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से बाध्य नहीं है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 दस्तावेज इकरारनामा बाबत बंटवारानामा दिनांक 5 अक्तूबर, 2004(प्रदर्श–2) में न तो पक्षकार है व न ही ऐसे बंटवारानामा पर प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर ही हैं. इस प्रकार दस्तावेज इकरारनामा बाबत बंटवारानामा की किसी भी प्रकार से कियान्विती नहीं हुई. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 –क्या वादी श्रीमती सुखविन्द्रकौर के नाम पर 1.762 हैक्टर कृषि भूमि के लिये प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व उसके ऋण लेने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? ...**वादी**

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र की जिरह में अंकित किया गया कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं. मेरी कोई दवाई नहीं चलती. मुझे सही सुनाई देता है. मैं जमीन को सुधारने के लिये क्योंकि मेरी जमीन उंची है उसे सही करवाने के लिये लॉन ले रही थी. कराहा लगाने के लिये काफी रूपयों की जरूरत होती है. राजस्व अभिलेखों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1.762 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है जिसके सुधार कार्यो हेतु वह ऋण प्राप्त करने के लिये स्वतन्त्र है जिसे अपने स्वामित्व की कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार के ऋण लेने पर किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. इस प्रकार वादी श्रीमती सुखविन्द्रकौर के नाम पर 1.762 हैक्टर कृषि भूमि के लिये ऋण लेने बाबत किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से स्थायी निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 –क्या प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य पारिवारिक स्तर पर दिनांक 5 अक्तूबर, 2004 को निष्पादित बंटवारानामा विधिक स्तर पर पक्षकारान पर बाध्य है?

...प्रतिवादी–1

दस्तावेज इकरारनामा बाबत बंटवारानामा दिनांक 5 अक्तूबर, 2004(प्रदर्श–2) श्री गुरप्रीतसिंह द्वारा निष्पादित किया गया है प्रतिवादी संख्या 1 दस्तावेज इकरारनामा बाबत बंटवारानामा दिनांक 5 अक्तूबर, 2004(प्रदर्श–2) में न तो पक्षकार है व न ही ऐसे बंटवारानामा पर प्रतिवादी संख्या 1 के हस्ताक्षर ही हैं. इसलिये दस्तावेज इकरारनामा बाबत बंटवारानामा के लिये प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से बाध्य नहीं है इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार प्रथमतः दस्तावेज इकरारनामा बाबत बंटवारानामा श्री गुरप्रीतसिंह द्वारा निष्पादित किया गया है जिस में प्रतिवादी संख्या 1 न तो पक्षकार स्थापित है व न ही उसके द्वारा हस्ताक्षर ही किये गये हैं ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 1 इकरारनामा बाबत बंटवारानामा की पालना अथवा कियान्विती के लिये किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से बाध्य नहीं है. द्वितीय, राजस्व अभिलेख जमाबन्दी के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 1.762 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज है जिसके सुधार कार्यो हेतु वह ऋण प्राप्त करने के लिये स्वतन्त्र है जिसे अपने स्वामित्व की कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार के ऋण लेने पर किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती. इस प्रकार वादी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश आज खुले न्यायालय में पक्षकारान के अधिवक्तागण की उपस्थिति में दिनांक 26 मार्च, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर